



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में दहेज के लिये वादी की लडकी की हत्या की घटना कारित करने के आरोपी आसिफ को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 25000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त आसिफ पुत्र यूसूफ निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा दहेज के लिये वादी की लडकी की हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 90/2021 धारा 498A/323/302/304 भादवि व ¼ दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त आसिफ को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व 25000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।



श्री अमित खोखर एडीजीसी

@baghpatpolice



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

baghpatpolice



क्षेत्राधिकारी श्री आलोक कुमार विवेचक



है0का0 रवि कुमार कोर्टपैराकार

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में धोखाधडी करने की घटना कारित करने के आरोपी राहुल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 05 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल पुत्र जवाहर सिंह निवासी पट्टी शाहजहांपुर कस्बा खेकडा जनपद बागपत के द्वारा फर्जी कम्पनी खोलकर वादी के धोखाधडी से रुपये जमा करवा लेना तथा वापस न करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 114/2009 धारा 406/420 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.08.2026 को मा0 न्यायालय सीजे(एसडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राहुल को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



नि0 श्री अतर सिंह प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

@baghpatpolice



श्री अभीराम गौतम अभियोजन अधिकारी

baghpatpolice



उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह विवेचक



का0 आदित्य कुमार कोर्टपैराकार

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 21.09.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 115/2026 धारा 305ए/331(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 भैंस व 01 लवारा (कटिया) तथा घटना में प्रयुक्त बुलैरो पिकअप बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 115/2026 धारा 305ए/331(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 भैंस व 01 लवारा (कटिया) तथा घटना में प्रयुक्त बुलैरो पिकअप बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त मुकदमें में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी की गई है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सादान पुत्र अनवार निवासी राशिद अली गेट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 भैंस व 01 लवारा (कटिया)
- एक बुलैरो पिकअप रजि नं0 यूपी 17 पी.टी 7897

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-का० 60 रवि कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-रि०का० 422 वीकेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 617 भरत सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-है०का० 378 बलराज थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 21.09.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 190/26 धारा
190/191(2)/115(2)/117(2)/110/131 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.09.2026 को थाना रमाला पर
आवेदक विनय कुमार पुत्र समसपाल
निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद
बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई।
आवेदक द्वारा तहरीर में अभियुक्तगण 1.
नदीम पुत्र नफीस, 2. सादिक पुत्र नफीस,
3. मुरसलीम पुत्र शौकीन तथा 02 अन्य



अज्ञात व्यक्ति, समस्त निवासीगण ग्राम सोन्टी थाना रमाला जनपद बागपत, के विरुद्ध
आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा हाथों में लाठी-डण्डे, सरिया एवं हथौड़ा
लेकर आवेदक के साथ मारपीट करते हुए हमला किया गया, जिससे आवेदक की बाईं
बांह टूट गई तथा वह बेहोश होकर गिर गया । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु०अ०सं०
190/26 धारा 190/191(2)/115(2)/117(2)/110/131 बीएनएस पंजीकृत किया गया

।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 190/26 धारा 190/191(2)/115(2)/117(2)/110/131 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नदीम पुत्र नफीस निवासी ग्राम सोन्टी थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 सनव्वर अली थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2.रि0का0 179 रिषभ थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3.रि0का0 271 रिषि कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 21.09.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 194/26 धारा 333/115(2)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.09.2026 को थाना रमाला पर आवेदक श्यामवीर पुत्र वीरसैन, निवासी ग्राम इब्राहिमपुर माजरा, थाना रमाला, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त बहरूल इस्लाम चौधरी पुत्र जमीर उद्दीन चौधरी, निवासी अप्पिन पीटी-II, तहसील काटलीचारा, जनपद हैलाकांडी, असम द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी एवं उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज व मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 194/26 धारा 333/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 194/26 धारा 333/115(2)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है । उपरोक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना रमाला पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आयुध अधि० की बढोत्तरी की गई है ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बहरूल इस्लाम चौधरी पुत्र जमीर उद्दीन चौधरी निवासी अप्पिन Pt – II तहसील काटलीचारा जिला हैलाकाण्डी असम ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० श्री युवनीश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2.है०का० 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3.1043 सुनील यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4.रि०का० 247 धीरज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 21.09.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 339/26 धारा 103(1)/352 बीएनएस – 2023 में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 20.09.26 को थाना खेकडा पर आवेदक नासिर पुत्र इसरार निवासी आजमपुर दहपा थाना पिलखुआ जनपद हापुड उम्र करीब 33 वर्ष ने लिखित तहरीर दी कि वादी व उसका साथी पाठशाला में मजदूरी का काम करते हैं। वादी व उसका साथी पहलवान धर्म कांटा एनबीसीसी के सामने खाना खा रहे थे उसी समय



अभियुक्त फेज मौहम्मद निवासी आजमपुर दहपा थाना पिलखुआ जनपद हापुड द्वारा वादी के साथी महबूब के साथ गाली-गलोच करते हुए जान से मारने की नियत से चाकू मार दिया, जिससे महबूब गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 339/26 धारा 109(1)/352 बीएनएस – 2023 पंजीकृत किया गया ।

उपचार के दौरान वादी के साथी महबूब की मृत्यु हो गई जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 103(1) वृद्धि की गयी व धारा 109(1) का विलोप किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 339/26 धारा 103(1)/352 बीएनएस – 2023 में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद किया गया

है। जिसके आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. फेज मौहम्मद निवासी आजमपुर दहपा थाना पिलखुआ जनपद हापुड उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण

- एक चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र० निरी० श्री आशीष कुमार थाना खेकडा जिला बागपत
2. उ० नि० श्री कपिल कुमार थाना खेकडा जिला बागपत
3. है० का० 86 अजय कुमार थाना खेकडा जिला बागपत
4. है० का० 81 हिमांशु चौधरी थाना खेकडा जिला बागपत

